गैस एजेंसियों पर लगी ग्राहकों की कतार, शहर से देहात तक कालाबाजारी बरकरार, आपूर्ति विभाग लगातार कर रहा छापेमारी

तांतपुर में समानांतर गैस का गोदाम, 130 घरेलू गैस सिलिंडर बरामद

जासं, आगरा: अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के बाद शुरू हुए एलपीजी के संकट के बाद आपदा में अवसर खोजने वालों ने खेल शुरू कर दिया। गैस एजेंसियों में चल रही मारा-मारी के चलते ग्राहकों की कतारें लगी है तो दूसरी तरफ शहर से देहात तक कालाबाजारी चल रही है। शुक्रवार को आपूर्ति विभाग और तहसील की टीम ने जगनेर के तांतपुर में छापा मारकर घर में चल रहे समानांतर गैस गोदाम का भंडाफोड़ किया। मकान मालिक के भागने पर ताला तोड़कर 130 सिलिंडर बरामद किए, जिनमें 125 खाली हैं। माना जा रहा है कि हाकरों के जरिए 125 सिलिंडर बेचे जा चुके हैं। पूछताछ में यह सामने आया कि 1900 रुपये में सिलिंडरों की बिक्री कराई जा रही थी। इसके गैस एजेंसियां शक के दायरे में हैं।

तांतपुर के अशोक सिंघल के घर से बरामद हुए 130 घरेलू सिलिंडरों के साथ आपूर्ति विभाग और खेरागढ़ तहसील की टीम

- हाकरों से 1900 में बिकवाए जा रहे थे सिलिंडर, टीम देख भागा मकान मालिक
- ताला तोड़कर जब्त किए गए 130 सिलिंडर, शक के दायरे में गैस एजेंसियां

घरेलू और कमर्शियल सिलिंडरों की कीमतें बढ़ाए जाने के बाद से कमर्शियल सिलिंडरों की आपूर्ति बंद हो गई। इसके बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलिंडर प्रयोग किए जा रहे हैं। गैस के संकट के बाद मारामारी चल रही है। इसकी शिकायतों पर प्रशासन सक्रिय हुआ तो खेल सामने आने लगे। तांतपुर से घरेलू गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी की गोपनीय सूचना मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर साढ़े तीन बजे आपूर्ति और तहसील खेरागढ़ की टीम ने तांतपुर में अशोक सिंघल के मकान पर छापा मारा। टीम के पहुंचने की भनक मिलते ही मकान मालिक ताला बंद कर भाग गया। कुछ देर तक इंतजार के बाद टीम ने ताला तोड़कर कमरों की तलाशी ली तो दो कमरों में 130 घरेलू सिलिंडर रखे थे। टीम ने आसपास पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले बातें पता चलीं। अशोक सिंघल द्वारा सिलिंडरों की कालाबाजारी की जा रही थी। सिलिंडर न सिर्फ इनकी आपूर्ति व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी की जा रही थी। पूछताछ में पता चला कि सिलिंडरों को 1700 से 1900 रुपये में बेचा जा रहा था। सिलिंडरों को देने के लिए हर दिन हाकर आते थे। कमर्शियल सिलिंडरों की आपूर्ति बंद होने के बाद खपत बढ़ गई थी। टीम में नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सूर्य प्रकाश, पूर्ति निरीक्षक अमरनाथ और सुमल्लिका शामिल रहीं।

सात दिनों में शहर क्षेत्र में पकड़े गए 216 सिलिंडर

आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सात दिनों में शहर क्षेत्र में 216 सिलिंडर जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही छह लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। डीएसओ आनंद सिंह ने बताया कि घरेलू सिलिंडरों की कालाबाजारी और गैस रिफिलिंग को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

130 सिलिंडरों में 125 खाली घरेलू सिलिंडर, दो कमर्शियल पांच किग्रा के सिलिंडर, तीन भरे हुए घरेलू सिलिंडर शामिल हैं। सभी सिलिंडरों को जब्त करते हुए एक गैस एजेंसी की सिपुर्दगी में दिए गए हैं। अशोक सिंघल के खिलाफ जगनेर में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

आनंद सिंह, डीएसओ

एजेंसी पर मैनुअल बुकिंग बंद आनलाइन से मिलेगा सिलिंडर

जासं, आगरा : तीनों आयल कंपनियों ने घरेलू सिलिंडरों की बुकिंग में बदलाव किया है। अब किसी भी गैस एजेंसी में मैनुअल बुकिंग नहीं होगी। आनलाइन बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को ही सिलिंडर मिलेगा। एजेंसी कार्यालयों और गोदाम में भीड़ न जुटे, इसके लिए शहरी क्षेत्र में 100 प्रतिशत होम डिलीवरी को लागू किया गया है। शुक्रवार को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कालाबाजारी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर गैस एजेंसी कार्यालयों में पुलिस की तैनाती की जाएगी। अछनेरा में गैस एजेंसी में तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कलक्ट्रेट सभागार में एजेंसी संचालकों के साथ बैठक में डीएम ने कहा कि जिले में घरेलू सिलिंडरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता परेशान न हो, जिन उपभोक्ताओं ने इस वित्तीय वर्ष में केवाईसी नहीं कराया है। वह खुद ही एलपीजी कनेक्शन की केवाईसी कराएं। डीएम ने कहा कि सभी गैस एजेंसी कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाए और किसी भी रूप में ओवररेटिंग नहीं होने दी जाए। बैठक में

- एजेंसियों पर जरूरत पड़ी तो तैनात होगी पुलिस, 100 प्रतिशत होगी होम डिलीवरी
- कालाबाजारी पर डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश, केवाईसी करवाना जरूरी

दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा प्रीमियम पेट्रोल का दाम

जासं, आगरा : पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में दो रुपये की बढ़ोतरी की है। जिले के 374 पेट्रोल पंपों में 20 हजार लीटर प्रतिदिन प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री होती है। इसका रेट अभी तक 101.52 रुपये था जो अब 103.52 रुपये हो गया है।

सिलिंडर मिलने में देरी पर मयूर गैस सर्विस पर उपभोक्ताओं का हंगामा

जयपुर हाउस में शुक्रवार को खाली गैस सिलिंडर लेकर एजेंसी पहुंची महिला

जासं, आगरा : ईद की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को जिले की 84 गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ गई। 10 दिनों से सिलिंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जयपुर हाउस स्थित मयूर गैस सर्विस कार्यालय के बाहर हंगामा किया। अपनों को चोरी छिपे सिलिंडर देने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं को शांत किया। देर शाम तक गैस का वितरण किया गया। वहीं एक दिन में 23 हजार घरेलू सिलिंडरों की कुल बुकिंग हुई और साढ़े 21 हजार सिलिंडरों की होम डिलीवरी की गई।

जिले में 13.57 लाख गैस उपभोक्ता हैं। इसमें इंडेन के सात लाख उपभोक्ता हैं। एक माह पूर्व तीनों आयल कंपनियों के हर दिन 16 हजार घरेलू सिलिंडरों की बुकिंग हो रही थी। कमर्शियल सिलिंडर न मिलने के चलते घरेलू सिलिंडरों की खपत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हो रही है। इसी के चलते शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 25 दिनों और ग्रामीण क्षेत्र के 45 दिनों में दूसरे सिलिंडर की बुकिंग करा सकते हैं। शनिवार को ईद है। इसके चलते शुक्रवार को जयपुर हाउस स्थित मयूर गैस सर्विस पर एक हजार से अधिक उपभोक्ता पहुंच गए। तीन से चार घंटे के बाद सिलिंडर मिला। नाराज उपभोक्ताओं ने हंगामा और नारेबाजी की। कर्मचारियों ने किसी तरीके से उपभोक्ताओं को शांत कराया। कई उपभोक्ताओं ने कार्यालय के बाहर सिलिंडर रख दिए।

अमरपुरा के महेंद्र सिंह ने बताया कि 18 मार्च को पर्ची बन गई थी लेकिन अभी तक सिलिंडर नहीं मिला है। उपभोक्ता मोहम्मद इरशाद ने बताया कि आठ दिन पूर्व सिलिंडर की बुकिंग हुई थी। अभी तक सिलिंडर घर नहीं पहुंचा है। उपभोक्ता राजेश कुमार ने बताया कि 10 दिन पूर्व सिलिंडर की बुकिंग कराई थी। सिलिंडर न पहुंचने पर मजबूरन एजेंसी कार्यालय आना पड़ा है। एजेंसी संचालक मानव शर्मा ने बताया कि लोहामंडी, अलबतिया, अमरपुरा, राजनगर, शाहगंज, सिर की मंडी क्षेत्र के 35 हजार उपभोक्ता हैं। ईद के चलते रात आठ बजे तक सिलिंडरों की डिलीवरी की गई है। उधर, एक दिन में कुल 23 हजार सिलिंडरों की बुकिंग हुई। 70 प्रतिशत इंडेन के सिलिंडर शामिल रहे। साढ़े 21 हजार सिलिंडरों की होम डिलीवरी हुई। डीएसओ आनंद सिंह ने बताया कि 38 हजार सिलिंडर स्टाक में हैं।

- जयपुर हाउस में है एजेंसी लोहामंडी, शाहगंज व अन्य क्षेत्रों के मिलाकर 35 हजार हैं उपभोक्ता
- जिले में 23 हजार सिलिंडरों की हुई बुकिंग और साढ़े 21 हजार की हुई होम डिलीवरी

जयपुर हाउस स्थित मयूर गैस सर्विस पर हंगामे के बाद स्टाफ द्वारा एजेंसी बंद करने के बाद भी बाहर खड़े उपभोक्ता ● जागरण

उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे हैं मैसेज

शहर में एक लाख पीएनजी उपभोक्ता हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी उपभोक्ताओं को घरेलू सिलिंडर न देने के आदेश दिए हैं। बुकिंग पर भी रोक लगा दी है। ग्रीन गैस कंपनी ने तीनों आयल कंपनियों को 75 हजार उपभोक्ताओं की सूची भेज दी है। कंपनी ने शुक्रवार से गैस सिलिंडर को सरेंडर करने का मैसेज उपभोक्ताओं को भेजना शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया गैस बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं की पहचान कर कार्रवाई होगी।

ये हैं आयल कंपनियों के टोल फ्री नंबर

18002333555
इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी)

1800224344
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बीपीसी)

18002333555
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एचपीसी)

यह है जिले का हेल्पलाइन नंबर
0562-2972453

गैस सिलिंडर की हो रही कालाबाजारी बुकिंग के 10 दिन बाद हो रही सप्लाई

गैस संकट पर डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी से वार्ता करते महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास और अन्य पदाधिकारी ● सौ. स्वयं

जागरण संवाददाता, आगरा: गैस सिलिंडर के संकट पर सपा द्वारा चलाए जा रहे जवाब दो अभियान के तहत शुक्रवार को पदाधिकारियों ने डीएम से वार्ता की। गैस सिलिंडर की कालाबाजारी से आम उपभोक्ताओं को हो रही समस्या और बुकिंग के 10 दिन बाद भी डिलीवरी नहीं होने की समस्या उठाई। मांग रखी कि गैस एजेंसियों के स्टाक की जांच की जाए। गैस सिलिंडर की सप्लाई की समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के साथ वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने गैस सिलिंडर को लेकर लोगों को हो रही समस्या को रखा। कहा कि शहर में हालत बेहद चिंताजनक हैं। गैस बुकिंग के बाद घर पर सात से 10 दिन बाद सिलिंडर पहुंच रहा है। कई स्थानों पर सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक लंबी लाइनें लग रही हैं। खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। 200 से 400 रुपये अतिरिक्त लेकर सिलिंडर बेचे जा रहे हैं। गैस एजेंसियों में स्टाक और रिकार्ड की पारदर्शिता नहीं है, जबकि घरेलू गैस का उपयोग होटल और ढाबों में किया जा रहा है। महासचिव पुष्पेंद्र शर्मा, राहुल चतुर्वेदी, नितिन कोहली, विनय अग्रवाल, विजेंद्र प्रजापति, मधुकर अरोड़ा, राहुल चौधरी, देवेंद्र राठौर आदि मौजूद रहे।

- गैस संकट पर सपाइयों ने जवाब दो अभियान के तहत डीएम से की वार्ता
- सुबह 10 से शाम सात बजे तक लग रहीं लाइन, समाधान न होने पर होगा आंदोलन

जोमैटो ने 2.40 रुपये बढ़ाई प्लेटफार्म फीस

जासं, आगरा: आनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने शुक्रवार से अपने प्लेटफार्म शुल्क में वृद्धि की है। जोमैटो से खाना मंगवाने पर 12.50 की जगह 14.90 रुपये प्लेटफार्म शुल्क देना होगा। जीएसटी लगने पर ये राशि और बढ़ जाएगी। प्लेटफार्म फीस हर एक फूड आर्डर पर लागू होने वाला अतिरिक्त चार्ज है। कंपनी ने इंटरनेट मीडिया पर बढ़ाए गए प्लेटफार्म शुल्क पर सफाई दी है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और आपरेशनल कास्ट (किराया, वेतना, बिजली, पानी और कच्चे माल) की वजह से प्लेटफार्म फीस बढ़ाई गई है। ग्राहक अतुल पाल ने बताया कि छोटे-छोटे आर्डर करने वाले लोगों को परेशानी होगी। गिग वर्कस एसोसिएशन के यूपी कोआर्डिनेटर ब्रजराज सिकरवार का कहना था कि कंपनियां अपनी मनमानी कर रहीं है, जब भी मन में आता है। किसी न किसी बहाने शुल्क बढ़ा देती है। इसका फायदा डिलीवरी बाय को नहीं मिलता है।

फूड डिलीवर करने जाता जोमैटो राइडर ● जागरण

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ– 226001
दूरभाष: पी0बी0एक्स0 2625439, 2622363, 2628461 फैक्स: 0522–2274526, 2228841, 2274578

पत्रांक:– 261बी/डीए/प0/2026 दिनांक:– 19.03.2026

निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यों की निविदाएं निम्नलिखित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा का प्रकार	निविदा अपलोड/क्रय करने की अन्तिम तिथि	निविदा प्राप्त/डाउनलोड करने की तिथि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	सेटेलाइट बस स्टेशन फाउण्ड्रीनगर की बसों हेतु यार्ड के विस्तारीकरण का कार्य।	E-Tender	20.04.2026 6:00 बजे तक	21.04.2026 3:30 बजे डाउनलोड की जायेगी।	1000 + 180 = 1180.00	40,000.00	02 माह

शर्तें:– अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में तथा निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com पर देखा जा सकता है।

भवदीय
अधिशासी अभियन्ता (प0)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़

पत्रांक– 1801/केशियर (नि0ख0–1 अ0)–अ0वृ0/205–26 दिनांक– 20.03.2026

ई–निविदा आमंत्रण सूचना (अल्पकालीन) (प्रेस विज्ञप्ति)

1 महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो.नि.वि., अलीगढ़, द्वारा निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार लोक निर्माण विभाग में मार्ग कार्य हेतु सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से प्रतिशत दर के आधार पर ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्यों हेतु निविदा में भाग ले सकता है। निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व निविदा के लिए न्यूनतम अर्हता हेतु निविदा निर्देशिका के क्लॉज़ 4 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (A)	अनुरक्षण मद की अनुमानित लागत (B)	कुल अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य सम्पादित कराने वाले अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय का पता	मुख्य अभियन्ता कार्यालय का पता	ठेकेदारों की श्रेणी/अनिवार्य पंजीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अलीगढ़	अकराबाद के गाँव बराकला से नगला लाला तक मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	149.20	8.79	157.99	9.90	2000 + 300 + 54 Rs. 2354.00	12 माह	निर्माण खण्ड–1, लो.नि.वि., अलीगढ़	अलीगढ़ वृत्त, लो.नि.वि., अलीगढ़	अलीगढ़ क्षेत्र, लो. नि.वि., अलीगढ़	ए0 एवं बी0 (मार्ग कार्य में पंजीकृत)
2	अलीगढ़	हसनगढ़ से सढ़ा (दामोदर नगर) सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	75.34	4.09	79.43	5.98	2000 + 300 + 54 Rs. 2354.00	6 माह	निर्माण खण्ड–1, लो.नि.वि., अलीगढ़	अलीगढ़ वृत्त, लो.नि.वि., अलीगढ़	अलीगढ़ क्षेत्र, लो. नि.वि., अलीगढ़	ए0 एवं बी0 (मार्ग कार्य में पंजीकृत)

2 कार्य पूर्ण करने की अवधि में वर्षा ऋतु भी सम्मिलित है।
3 बिड अपलोड करने की तिथि से 90 दिन तक बिड स्वीकृति हेतु वैध रहेगी।
4 वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें तथा बिडिंग डॉक्यूमेन्ट्स आन लाइन देखे जा सकते है तथा दिनांक 23.03.2026 से 30.03.2026 तक देखे जा सकेंगें। ऑनलाइन बिड दिनांक 30.03.2026 को दोपहर 12:00 बजे या इससे पूर्व ई–निविदा **http://etender.up.nic.in** पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा कर दी जाये एवं ऑनलाइन प्राप्त समस्त टेक्निकल बिड दि0 30.03.2026 को अपरान्ह 12:30 बजे खोली जायेगी।

(संजीव कुमार पुष्कर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, अलीगढ़

(प्रभात कुमार चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता
अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon! | मण्डल कार्यालय इटावा, ई-मेल cs8223@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई–नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई–नीलामी **'जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो'** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। **बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण**

नोडल अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी, मण्डल कार्यालय इटावा,

क्र सं	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम(बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ) डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 ब) बकाया राशि स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 द)कब्जा का प्रकार	अ)आरक्षित मूल्य ब)धरोहर धनराशि स) वृद्धिशील बिड धनराशि
1	शाखा: पैमेश्वर गेट (डी. नं. 485200)। उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता– (1) श्री मोहसिन हुसैन पुत्र श्री शाकिर हुसैन (2) मोहम्मद नाजिम अंसारी पुत्र मोहम्मद सलाम (जमानतकर्ता)	सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय संपत्ति स्थित नगर पालिका संख्या 13/12, मोहल्ला नक्कारची टोला, तहसील एवं जिला फिरोजाबाद, क्षेत्रफल 290 वर्ग फुट या 26.97 वर्ग मीटर जोकि विक्रय अभिलेख के अनुसार बुक नंबर 1, खंड क्रमांक 1022, पृष्ठ क्रमांक 203 से 216, क्रम सं. 2532 दि. 16.05.2012 को उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद में मोहसिन हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन के नाम पर पंजीकृत है। विक्रय अभिलेख के अनुसार चौहददी: पूर्व: प्लॉट जितेंद्र, पश्चिम: रास्ता 4 फीट, उत्तर: जफरउद्दीन का मकान, दक्षिण: पप्पू का मकान। (Property ID:PUNB4852MOHSINHU)	अ) 02.09.2023 ब) रू. 7,62,446.41 + ब्याज दि. 01.09.2023 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे स)13.06.2024 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रू. 13.00 लाख ब) रू. 1.30 लाख स)रू. 10,000/-
2	शाखा: एसएसआई, फिरोजाबाद (डी नं0 095910) उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता– (1) मेसर्स वारिश इन्टरप्राइजेज (प्रोप: मोहम्मद नावेद पुत्र मोहम्मद शफीक) (2) मोहम्मद नावेद पुत्र मोहम्मद शफीक (प्रोप: मेसर्स वारिश इन्टरप्राइजेज) (3) श्रीमती रहीसा बेगम पत्नी मो. शफी मरहूम (जमानतकर्ता)।	सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय संपत्ति नगर पालिका संख्या 101/5, स्थित मोहल्ला कोटला, तहसील एवं जिला फिरोजाबाद, क्षेत्रफल 34.79 वर्ग मीटर, जोकि पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 9817 दिनांक 30/07/2008 के अनुसार, बही नं. 1, खंड संख्या, 6896, पृष्ठ नं0 289 से 318 पर उप निबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद में श्रीमती रहीसा बेगम पत्नी मो. शफी मरहूम के नाम पर पंजीकृत है। चौहददी विक्रय विलेख के अनुसार –पूर्व: सड़क 6 फीट चौड़ी, पश्चिम: राजाराम यादव की संपत्ति, उत्तर: हीरा लाल की संपत्ति, दक्षिण: श्री कालीचरण वर्मा की संपत्ति। (Property ID:PUNB095910WARISH)	अ) 06.05.2023 ब) रू. 9,15,177.29 + ब्याज दि. 01.05.2023 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे स) 20.07.2023 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रू. 8.00 लाख ब) रू. 0.80 लाख स)रू. 10,000/-
3	शाखा:फिरोजाबाद (189720) उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता (1) मेसर्स इमरानुद्दीन बैंगल स्टोर (2) श्री इमरानुद्दीन पुत्र श्री अबरारुद्दीन खान (3) श्री अबरारुद्दीन खान पुत्र मुमताजुद्दीन खान उर्फ श्री काजी छुट्टन।	सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय संपत्ति मकान नंबर 137, गली नंबर 2 मोहल्ला शीशधरन, जिला फिरोजाबाद क्षे. 46.46 वर्गमीटर जोकि बिक्री विलेख नं. 2291 दिनांक 27.02.1985 को जिल्द नंबर 1084, पृष्ठ संख्या 288/289 पर श्री अबरारुद्दीन खान पुत्र श्री काजी छुट्टन उर्फ मुमताजुद्दीन खान के नाम पंजीकृत है। चौहददी डीड के अनुसार: पूरब: रास्ता, पश्चिम: हकीम और मुन्ना का प्लाट, उत्तर: कजा जमील की संपत्ति, दक्षिण: श्री कल्लन उस्ताद का प्लॉट । (Property ID:PUNB189720IMRANU)	अ) 27.05.2021 ब) रू. 6,31,010.50 + ब्याज दि. 01.04.2021 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे स) 01.09.2021 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रू. 10.60 लाख ब) रू. 1.06 लाख स)रू. 10,000/-
4	शाखा: पामेश्वर गेट (डी. नंबर 485200) उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता–(1)मोहम्मद वसीम पुत्र श्री नूर मोहम्मद (2) श्री ईद मोहम्मद पुत्र स्व. तुंडु खान (जमानतकर्ता)	सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय संपत्ति स्थित 29/1सी, मोहल्ला सराय आगरा गेट (सराय जनुबी) जिला फिरोजाबाद, क्षेत्रफल 7.66 वर्ग मीटर जोकि बिक्री विलेख के अनुसार बुक नं. 1, खंड संख्या 1517, पृष्ठ संख्या 69 से 86, क्रमांक 1261 दि. 08.03.1996 को उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद में श्री ईद मोहम्मद पुत्र स्व. श्री तुंडु खान के नाम पर पंजीकृत है। मूल्यांकन के अनुसार चौहददी:: पूर्व: स्वर्गीय श्री तुंडु खान के कानूनी उत्तराधिकारी का मकान, पश्चिम: 12 फीट चौड़ी गली, उत्तर: श्री इलाही बक्स का मकान, दक्षिण: 12 फुट चौड़ी गली। (Property ID:PUNB4852MOHDWASE)	अ)13.12.2022 ब) रू. 7,74,749.50/- +ब्याज एवं अन्य खर्चे दि. 01.12.2022 से प्रभावी स) 01.03.2023 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रू. 11.64 लाख ब) रू. 1.17 लाख स)रू. 10,000/-

नोट प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण : कोई अधिभार ज्ञात नही

नियम एवं शर्तें– बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तें की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री **"जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो'** के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. सभी आवश्यक बिल/सरकारी शुल्क यानी टेलीफोन, बिजली, हाउस टैक्स आदि यदि कोई शेष हो तो, नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। 4. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ईनीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट **https://baanknet.com** पर की जायेगी। 5.विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक 21.03.2026 स्थान: इटावा **बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतकर्ताओं हेतु वैधानिक चेतावनी है।**

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

आवश्यकता है

इलैक्ट्रोनिक गोदाम पर सामान उतारने और चढ़ाने के लिये मेहनती लड़को की और कुशल ड्राइवरों की।
सैलरी - 9500 से 12500
सम्पर्क करें-
गौरव डिस्ट्रीब्यूटर्स
C-15, निर्भय नगर गैलाना रोड, आगरा।
7500288833, 7457011111

DE CAMBRIDGE SCHOOL

Our school invites applications from qualified and dedicated teachers for the following positions:
Pre-Primary Teachers
PRT (All Subjects)
(English speaking preferred)
TGT Teachers: Mathematics, Computer, English, Science, Receptionist
(Fluent in English speaking good communication skills)
Eligibility: Graduate/ Postgraduate with B.Ed. (as applicable), Good communication skills, Prior experience preferred
Salary: As per qualifications and experience
Walk-in-Interview: 23rd, 24th & 25th (9:00 AM to 1:00 PM)
Email your resume at: decambridgeschool22@gmail.com Contact: 9634392353, 8126469285Address: 59/8 Kheria Mod, Ajit Nagar, Agra – 282001

Classifieds दैनिक जागरण

YOU CAN BOOK CLASSIFIED ADVT. OVER PHONE in Agra
For More Details Contact
Vivek- 8755193080
Anil-9837011449

दैनिक जागरण क्लासीफाइड काम दाम, ज्यादा काम

आवश्यकता

पल्स मल्टीसुपर हॉस्पीटल,खतैना, लोहामंडी,आगरा के लिये OT टैक्नीशियन,मैनेजर,मेल / फीमेल पैरामेडिकल स्टाफ,वार्ड आया, वार्डबॉय की। सम्पर्क– Mob. 8650352831

सूचना

मेरा बड़ा किरन व पुत्रवधू कीर्ती मेरे कहनें में नहीं है, गलत संगत पड़ गया है, जिसे हमने अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर संबंध विच्छेद कर लिये है उनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य लेनदेन के वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिससे मेरा व मेरे अन्य परिवारीजनों का कोई सरोकार नही होगा। मुकेश पुत्र लोहरे निवासी कुकरसौं तांतपुर आगरा

मैं चंद्र सिंह व शैलेन्द्र सिंह व सुरज सिंह पुत्रगण स्व.रामचंद्र सिंह राठौर तीन भाई है मेरे छोटे भाई शैलेन्द्र सिंह गलत सौहबत में पड़ गये है इसलिये उन्हे मैं अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं भविष्य में वह कोई लेनदेन करते है तो उसके वह स्वयं जिम्मेदार होगा। चंदन सिंह राठौर पुत्र स्व. रामचंद्र सिंह राठौर निवासी चौहान नगर,मैनपुरी

मेरी पत्नी का नाम आर्मी दस्तावेजों में BIRMATI DEVI दर्ज है जो गलत है। जबकि आधारकार्ड व अन्य दस्तावेजों में VEERMATI DEVI दर्ज है जो सही है। रिस्तीपाल पुत्र बहादुर सिंह निवासी 39 फेस 1 ग्वालियर रोड न्यू सुरक्षा विहार रोहता आगरा। 282001

मेरी पुत्री के जन्म प्रमाणपत्र में गलती से नाम यश्री दर्ज हो गया है , जबकि पुत्री का सही नाम युक्ती गुप्ता (Yukti Gupta) है। भविष्य में यही माना जाये। सूरज गुप्ता पुत्र शंकर गुप्ता नि. मुंडेराकला महाराज गंज (उ.प्र.)

मेरे भवन सं. EWS 241 ताजनगरी, फेस– 1, आगरा का आवंटनपत्र, कब्जापत्र,मूल बैनामे व अन्य जरूरी कागजात वास्तव में खो गये है। जिका प्रयोग अवैध होगा। अशरफ खान पुत्र भूरे खान नि. 5C 2A D 37 बालाजीपुरम,अलबतिया रोड, श